**छत्तीसगढ़ शासन**
**नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग**
**मंत्रालय**
**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**
**-------------------------**

क्रमांक:GENCOR-35/306/2026-UAD नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक
प्रति

1. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़।
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत,
   छत्तीसगढ़।

विषय:- निर्माण कार्य हेतु GST Payment System एवं Royalty Clearance Certificate संबंधी वर्तमान व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए एक समान मानक प्रक्रिया लागू किये जाने बाबत्।

--0--

विषयांतर्गत मुख्य सचिव महोदय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गए निर्देशानुसार राज्य के सभी निर्माण विभागों में निर्माण कंपनियों/ठेकेदारों के देयकों में जी.एस.टी. कटौती एवं Royalty Clearance Certificate जारी करने की वर्तमान व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सचिव, वित्त, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुसंशा/निर्णय पर माननीय मुख्यमंत्री जी का समन्वय में अनुमोदन प्राप्त किया गया है। जिसके परिपालन में संचालनालय,नगरीय प्रशासन एवं विकास/नगरीय निकायों द्वारा संपादित किये जा रहे निर्माण कार्यों में भी निम्नानुसार GST Payment System एवं Royalty Clearance Certificate हेतु निर्धारित एक समान मानक प्रक्रिया का पालन किया जावे:-

1. निर्माण कार्यों के देयकों में जी.एस.टी. कटौती:- निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तथा Probable Amount of Contract (P.A.C.) / Bill of Quantity (B.O.Q.) तैयार करते समय प्रयुक्त सामग्री की दरों को बिना GST के लिया जाए तथा इस प्रकार अंतिम Bid Value पर निविदा आंमत्रित की जाये। निर्माण कंपनियों/ठेकेदारों द्वारा उद्धृत दर (Tender Rate) के अनुसार भुगतान करते समय तत्समय लागू जी.एस.टी. दर को जोड़ते हुए भुगतान किया जाये।

2. रॉयल्टी क्लीयरेंस सर्टिफिकेट:- निर्माण कंपनियों/ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले गौण खनिजो का रॉयल्टी क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किये वाले गौण खनिजों की कीमत तथा शास्ति निम्नानुसार निर्धारित की जावे:- खनिज का मूल्य = रॉयल्टी + रॉयल्टी पर देय डीएमएफ, पर्यावरण, अधोसंरचना विकास उपकर शास्ति = मूल रॉयल्टी के बराबर

उदाहरण के लिए- यदि खनिज की रॉयल्टी 100 रूपये है तथा उस पर देय डीएमएफ 30 रूपए, पर्यावरण उपकर 11.25 रूपए, अधोसंरचना विकास उपकर 11.25 रूपए है, तो ठेकेदार द्वारा देय खनिज का मूल्य 152.50 रूपए होगा। अन्यत्र से प्राप्त गौण खनिज उपयोग करने की स्थिति में शास्ति 100 रूपए सहित कुल देय खनिज मूल्य 252.50 रूपए होगा।

उपरोक्त प्रावधान दिनांक 01.04.2026 अथवा इसके पश्चात् जारी की जाने वाली नयी निविदाओं पर लागू होगे। संलग्न कार्यवाही विवरण में उल्लेखित एक समान मानक प्रक्रिया एवं प्रावधान संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास/नगरीय निकायों के निर्माण कार्यो में भी लागू किया जाना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Bhagwat Jaiswal
Date: 20-05-2026
17:32:42

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ. क्र.:GENCOR-35/306/2026-UAD नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक

प्रतिलिपिः-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उप मुख्यमंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नवा रायपुर अटल नगर।
4. समस्त संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छ.ग.।
5. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालनालय, न.प्र.वि. को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6. रिकार्ड फाईल,